विश्व दृष्टि दिवस

संदर्भ: प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाने वाला विश्व दृष्टि दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टि हानि की ओर ध्यान आकर्षित करना है।

- विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, जिसका विषय है **"काम पर अपनी आँखों से प्यार करें।"**
- इस बार कार्यस्थल पर दृष्टि की सुरक्षा के महत्व पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- भारत में **विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण विभाग** दृष्टि हानि के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। व्यावसायिक नेताओं को श्रमिकों के नेत्र स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- यह दिन पहली बार वर्ष **2000 में लायंस क्लब इंटरनेशनल** संगठन के **साइटफर्स्ट अभियान** द्वारा मनाया गया था।

अनुमान और समस्या

- वैश्विक स्तर पर 1.1 अरब लोगों को दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं।
- लगभग हर किसी को कभी न कभी नेत्र देखभाल सेवाओं की आवश्यकता अवश्य पड़ती है।
- दूर दृष्टि संबंधी समस्याएं 600 मिलियन लोगों को प्रभावित करती हैं जिनमें से 43 मिलियन लोग अंधे हैं।
- 510 मिलियन लोगों को चीज़ों को करीब से देखने में परेशानी होती है।
- 90 मिलियन बच्चों और किशोरों को दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं।
- 2050 तक 1.1 अरब से 1.7 अरब लोगों को दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

भारत में दृष्टि हानि

- भारत में अंधेपन की व्यापकता 1.99%, गंभीर दृष्टि हानि (एसवीआई) 1.96%, मध्यमदृष्टि हानि (एमवीआई) 9.81%, अत्यधिक दृष्टि हानि (ईवीआई) 12.92%, मध्यम-गंभीर दृष्टि हानि (एमएसवीआई) 11.77%, और दृष्टि हानि (VI) 13.76% है।
- बिजनोर जिले (उत्तर प्रदेश) में अंधापन और दृष्टि हानि का प्रसार सबसे अधिक था।
- साक्षर व्यक्तियों की तुलना में निरक्षर व्यक्तियों में अंधेपन की दर अधिक थी।
- मोतियाबिंद अंधापन (66.2%), एसवीआई (80.7%), और एमवीआई (70.2%) का मुख्य कारण था।
- अंधेपन के अन्य महत्वपूर्ण कारणों में कॉर्नियल अपारदर्शिता (7.4%), मोतियाबिंद सर्जरी जटिलताएं (7.2%), और ग्लूकोमा (5.5%) शामिल हैं।
- अधिकांश अंधापन और दृष्टि हानि परिहार्य कारणों (क्रमशः 92.9% और 96.2%) के कारण थी।
- मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच में बाधाओं में स्थानीय कारण (25.5%), वित्तीय बाधाएं (22.1%), और सर्जरी का डर (16.1%) शामिल हैं।
- दृष्टि हानि के सबसे महत्वपूर्ण कारण अपवर्तक त्रुटियाँ (29.6%) और अनुपचारित मोतियाबिंद (25.4%) थे।
- समग्र जनसंख्या में, अंधेपन की अनुमानित व्यापकता 0.36% थी, गंभीर दृष्टि हानि 0.35% थी, मध्यम दृष्टि हानि 1.84% थी, और प्रारंभिक दृष्टि हानि 2.92% थी।
- भारत ने दृष्टि हानि में 25% की कमी के WHO लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है।

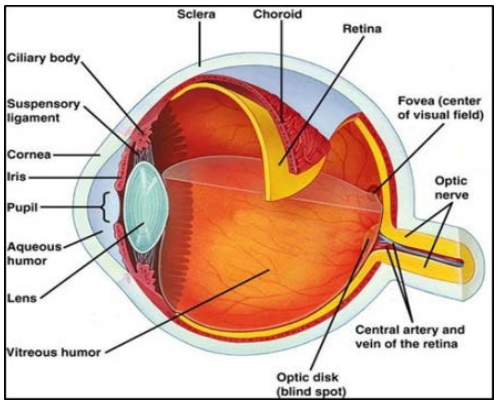

मानव आँख में दोष

- **मायोपिया (निकट दृष्टि दोष):**
  - निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं।
  - दूर की वस्तुएँ धुंधली दिखाई देती हैं।
  - ऐसा आँख के आकार के कारण होता है, जो प्रकाश को रेटिना के सामने केंद्रित करता है।
  - इसके निदान के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
- **हाइपरमेट्रोपिया (दूर-दृष्टिदोष):**
  - दूर की वस्तुएं तो देख सकते हैं लेकिन पास की नहीं।
  - पास की वस्तुओं से प्रकाश रेटिना के पीछे केंद्रित होता है।
  - इसके निदान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
- **प्रेस्बायोपिया (Presbyopia):**
  - इसमें आस-पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है।
  - प्रायः यह 40 साल की उम्र के आसपास शुरू होता है और 65 साल की उम्र तक अत्याधिक बढ़ जाता है।
  - इसे उत्तल और अवतल दोनों लेंसों वाले बाइफोकल लेंस से ठीक किया जा सकता है।
- **मोतियाबिंद:**
  - आँख का लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे दृष्टि धुंधली हो जाती है।
  - इसका सर्जरी से इलाज किया जा सकता है।
  - इसमें लेंस के ऊपर झिल्ली बनने के कारण धुंधला दिखाई देता है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)

संदर्भ: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों से पहले, कमार पीवीटीजी के बाद बैगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) राज्य में निवास अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा समूह बन गया।

- 2,085 परिवारों के 6,483 लोगों की कुल आबादी वाले 19 बैगा गांवों को आवास अधिकार दिए गए हैं।
- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आवास अधिकार प्रदान किए गए।
- बैगा समुदाय मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में निवास करता है, जिनमें राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, जीपीएम, मनेंद्र-भरतपुर-चिरमिरी और बिलासपुर शामिल हैं।
- यह समुदाय मध्य प्रदेश राज्य के पड़ोसी जिलों में भी निवास करता है।

पर्यावास अधिकार

- पर्यावास अधिकार स्वदेशी समुदायों को सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, आजीविका, पारिस्थितिक ज्ञान और विरासत संरक्षण सहित विभिन्न अधिकार प्रदान करते हैं।
- ये अधिकार पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक आजीविका और पारिस्थितिक ज्ञान को संरक्षित करने में मदद करते हैं।
- ये अधिकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को सशक्त बनाने के लिए सरकारी पहलों के समन्वय को सक्षम बनाते हैं।
- वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 की धारा 3(1)(ई) के तहत आवास अधिकार प्रदान किए जाते हैं।
- एफआरए "निवास स्थान" को पीवीटीजी और अन्य वन-निवास अनुसूचित जनजातियों के प्रथागत रहने वाले क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है।
- ये अधिकार स्वदेशी विरासत की रक्षा और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- हालाँकि ये अधिकार निजी स्वामित्व नहीं हैं, इन्हें विकास के लिए ग्राम सभा की सहमति और परामर्श की आवश्यकता होती है।
- वन अधिकारों को वन संरक्षण अधिनियम, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।
- आवास अधिकार प्रदान करने से स्वदेशी क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए कानूनी सुरक्षा का एक अतिरिक्त प्रावधान जुड़ जाता है।
- यह सुरक्षा सुनिश्चित करता है कि पीवीटीजी अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, आजीविका और पारंपरिक ज्ञान को बनाए रख सकें।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)

- जनजातीय समुदाय आदिम विशेषताओं, सांस्कृतिक विशिष्टता, भौगोलिक अलगाव, बाहरी लोगों के प्रति शर्मीलेपन और अविकसितता जैसी अनूठी विशेषताओं से पहचाने जाते हैं।
- कुछ जनजातियाँ अतिरिक्त लक्षण प्रदर्शित करती हैं, जिनमें शिकार और संग्रहण पर निर्भरता, पूर्व-कृषि प्रौद्योगिकी, स्थिर या घटती जनसंख्या और कम साक्षरता शामिल हैं। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारत सरकार पीवीटीजी की पहचान करने के लिए विशिष्ट मानदंड अपनाती है, जिसमें पूर्व-कृषि प्रौद्योगिकी, कम साक्षरता दर, आर्थिक अविकसितता और स्थिर या घटती जनसंख्या शामिल हैं।
- भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है।
- जनजातीय समुदायों में पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) सबसे कमजोर हैं।
- विकसित जनजातीय समूहों को जनजातीय विकास निधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होता है, जिससे पीवीटीजी को केंद्रित वित्त पोषण की अधिक आवश्यकता होती है।
- **1973 में, ढेबर आयोग** ने आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) की श्रेणी बनाई, जिसे बाद में 2006 में पीवीटीजी नाम दिया गया।
- 1975 में, भारत सरकार ने 52 पीवीटीजी की पहचान की और उन्हें घोषित किया; 1993 में, अतिरिक्त 23 समूह जोड़े गए, 705 अनुसूचित जनजातियों में से कुल 75 पीवीटीजी हैं।
- पीवीटीजी में एकरूपता, छोटी आबादी, शारीरिक अलगाव, लिखित भाषा की कमी, सरल तकनीक और धीमी सामाजिक परिवर्तन जैसी सामान्य विशेषताएं साझा होती हैं।
- 75 पीवीटीजी में से अधिकांश ओडिशा में केंद्रित हैं।

ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2023

संदर्भ: 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर **सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल द्वारा ग्लोबल गर्लहुड** रिपोर्ट जारी की गई।

मुख्य निष्कर्ष

- **जलवायु-संबंधित बाल विवाह जोखिम:**
  - सेव द चिल्ड्रेन की एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु आपदाओं के कारण दुनिया भर में लगभग 9 मिलियन लड़कियों को बाल विवाह का खतरा बढ़ गया है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2023 के अनुसार लगभग दो-तिहाई बाल विवाह औसत से अधिक जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में होते हैं।
  - भविष्य में चरम मौसम की घटनाओं और बाल विवाह के उच्च जोखिम वाली लड़कियों की संख्या बढ़ने की सम्भावना है।
- **शीर्ष 10 हॉटस्पॉट देश:**
  - वर्तमान में, लगभग 29.9 मिलियन लड़कियाँ बाल-विवाह और जलवायु हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए शीर्ष 10 देशों में रहती हैं।
  - ये देश हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, गिनी, बांग्लादेश, बुर्किना फ़ासो, मलावी, माली, मोज़ाम्बिक, नाइजर और दक्षिण सूडान हैं।
  - 2030 तक यह संख्या 2.3 मिलियन बढ़कर 32.2 मिलियन हो जाने का अनुमान है, और 2050 तक यह संख्या 39.9 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो एक तिहाई वृद्धि को दर्शाता है।
- **क्षेत्रीय प्रभाव:**
  - दक्षिण एशिया (बांग्लादेश) और उप-सहारा अफ्रीका (मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, गिनी) बाल विवाह और जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं।
  - इन क्षेत्रों को गरीबी, लैंगिक असमानता, संघर्ष और भूख का भी सामना करना पड़ता है।
- **बाल विवाह पर जलवायु का प्रभाव:**
  - ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि वर्षा में 10% की वृद्धि या कमी वैश्विक स्तर पर बाल विवाह दरों में इसी बदलाव से जुड़ी है।

- इथियोपिया के सूखा प्रभावित हिस्सों में, 2021 की तुलना में 2022 में बाल विवाह की दर 119% बढ़ गई।
- बांग्लादेश में अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसी घटनाओं के बाद के वर्षों में 11-14 आयु वर्ग की लड़कियों की शादी की संभावना दोगुनी हो गई।
- 2022 में नाइजर में भीषण बाढ़ से 2.6 मिलियन से अधिक छात्र प्रभावित हुए और विशेषकर लड़कियों के लिए बाल विवाह का खतरा बढ़ गया।
- चक्रवात फ्रेडी के बाद, मलावी में 2023 की पहली छमाही में बाल विवाह में वृद्धि देखी गई।

➢ **कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता:**

- बाल विवाह और जलवायु प्रभावों से प्रभावित लड़कियों की अपनी शिक्षा पूरी करने की संभावना कम होती है, उन्हें हिंसा का अधिक खतरा होता है, और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अधिक स्वास्थ्य जोखिम का अनुभव होता है।
- दुनिया भर में 2% से भी कम राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में विशेष रूप से लड़कियों का उल्लेख किया जाता है और उनकी जरूरतों पर विचार किया जाता है।

➢ **प्रस्तावित समाधान:**

- रिपोर्ट लड़कियों के अधिकारों के आपातकाल के रूप में जलवायु संकट से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है।
- लड़कियों पर जलवायु संकट के विशिष्ट प्रभावों का जवाब देने और जलवायु कार्रवाई के रूप में लैंगिक समानता की दिशा में काम करने के तीन तरीकों में शामिल हैं:
  - जलवायु कार्रवाई में लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा से सुरक्षा को केंद्रीय प्राथमिकता बनाना।
  - लड़कियों के लिए आवश्यक सिस्टम और सेवाओं को शॉक-प्रूफ करने के लिए अग्रिम कार्रवाई में निवेश करना।
  - निर्णय लेने वालों और स्वायत्त नारीवादी आंदोलनों के रूप में लड़कियों का समर्थन करना।
- रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में निवेश का आह्वान किया गया है, विशेष रूप से अत्यधिक कमजोर बच्चों, विशेषकर लड़कियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

बालिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

➢ 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय **"लड़कियों के अधिकारों में निवेश: हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण" ("Invest in Girls' Rights: Our Leadership, Our Well-being.")** है।

➢ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को एक वार्षिक आयोजन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 2012 में मनाया गया था।

➢ 19 दिसंबर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में नामित करने का एक प्रस्ताव अपनाया।

➢ यह दिन लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने, लड़कियों के अधिकारों की वकालत करने और उनकी भलाई के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए समर्पित है।

➢ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया।

➢ राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 की थीम थी "**डिजिटल पीढ़ी, हमारी पीढ़ी**"

NEWS IN BETWEEN THE LINES

चिल्का झील

हाल ही में, प्रवासी पक्षियों ने चिल्का झील की ओर अपना वार्षिक प्रवास शुरू किया है।

चिल्का झील के बारे में:

- चिल्का झील भारत की **सबसे बड़ी खारे पानी की झील** है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख शीतकालीन आश्रय स्थल के रूप में कार्य करती है।
- यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा **लैगून** है।
- 1981 में, चिल्का झील को इसके पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, रामसर कन्वेंशन के तहत **अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि** के रूप में नामित किया गया था।
- चिल्का के प्रमुख आकर्षणों में से एक **इरावदी डॉल्फ़िन** की उपस्थिति है, जो अक्सर **सतापाड़ा द्वीप** के आसपास देखी जाती हैं।
- विस्तृत **नलबाना द्वीप** को 1987 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता था।

प्रवासी पक्षी:

चिल्का झील विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करती है जो कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर, रूस, मंगोलिया, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया, लद्दाख और हिमालय सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों मील की यात्रा करते हैं।

बैगा जनजाति

हाल ही में, छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति को आवास अधिकार प्रदान किया गया।

बैगा जनजाति के बारे में:

- बैगा जनजाति एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) है।
- वे **छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश** के क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- वे अर्ध-खानाबदोश जीवनशैली अपनाते हैं और **काटकर और जलाकर खेती (slash-and-burn cultivation**. करते हैं।
- वे स्थानान्तरित खेती के एक रूप में संलग्न हैं जिसे **"बेवर"** के नाम से जाना जाता है।
- महुआ पेड़ के फूलों के किण्वन और आसवन से प्राप्त महुआ, बैगा भोजन और पेय संस्कृति में महत्व रखता है।
- गोदना बैगा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिसमें अलग-अलग उम्र और शरीर के अंगों के लिए विशिष्ट टैटू बनाए गए हैं।

कानूनी ढांचा:

पर्यावास अधिकार अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (ई) के तहत दिए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) कहा जाता है।

हॉर्सशू केकडा (Horseshoe Crab)

हाल ही में, लॉरेंट बैलेस्टा ने अपने हॉर्सशू केकड़े की तस्वीर के साथ भव्य पुरस्कार और डब्ल्यूपीवाई पोर्टफोलियो पुरस्कार जीता।

हॉर्सशू केकड़े (Horseshoe Crab) के बारे में:

- हॉर्सशू केकड़ा एक प्राचीन समुद्री आर्थ्रोपॉड है जिसका इतिहास 450 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है, जो डायनासोर से भी पहले का है।
- इस प्राणी के पास एक कठोर बाह्यकंकाल, एक लंबी, नुकीली पूंछ वाली रीढ़ और एक घोड़े की नाल के आकार का खोल होता है जो इसके शरीर को ढकता है।
- यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट पर पाया जाता है, जिसमें मैक्सिको की खाड़ी और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी तट शामिल हैं।
- इसके **नीले रंग के रक्त में लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट (एलएएल)** होता है, जो एक अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील पदार्थ है जिसका उपयोग टीकों और चिकित्सा उपकरणों में जीवाणु संदूषण का पता लगाने के लिए चिकित्सा परीक्षण में किया जाता है।
- यह तटीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंडे लंबी दूरी के प्रवास के दौरान प्रवासी तटीय पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत प्रदान करते हैं।
- इसे **पंगाटलान द्वीप (Pangatalan** Island) के आसपास एक समुद्री अभ्यारण्य में सुरक्षा प्राप्त है।
- **IUCN स्थिति:** असुरक्षित

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में फिर से शामिल होने की रूस की कोशिश असफल रही।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) 2006 में स्थापित एक अंतरसरकारी निकाय है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
- इसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं।
- इन सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है।
- सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए UNHRC में कार्य करते हैं।
- सदस्य लगातार दो कार्यकाल के बाद तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं।
- हाल के चुनाव में, यूएनएचआरसी में सेवा के लिए 15 नए देशों को चुना गया, जिनमें अल्बानिया, ब्राजील, चीन, फ्रांस और जापान शामिल हैं।

विझिंजम बंदरगाह

हाल ही में, एक चीन के दल को विझिंजम बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी।

विझिंजम बंदरगाह (Vizhinjam Port) के बारे में:

- विझिंजम पोर्ट केरल में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका बजट 7,525 करोड़ रुपये है।
- इसका निर्माण अदानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जा रहा है।
- दिसंबर 2015 में शुरू की गई इस परियोजना के पूरा होने की समय सीमा को पूरा करने में देरी हुई है।
- पूरा होने पर, बंदरगाह में 30 बर्थ और बड़े "मेगामैक्स" कंटेनर जहाजों को संभालने की क्षमता होगी।
- ट्रांस-शिपमेंट ट्रैफिक में हिस्सेदारी के लिए इसके कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है।

सर्जिकल साइट संक्रमण

सर्जिकल साइट संक्रमण (Surgical Site Infection (SSI) के बारे में:

- सर्जिकल साइट संक्रमण (एसएसआई) सर्जिकल प्रक्रियाओं के बाद होने वाली एक सामान्य जटिलता है, जो शरीर में सर्जिकल साइट पर होने वाले संक्रमण की विशेषता है।
- यह सतही त्वचा संक्रमण से लेकर ऊतकों से जुड़े गहरे संक्रमण तक हो सकता है।
- 2018 कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में सर्जरी कराने वाले लगभग 11% रोगियों में सर्जिकल साइट संक्रमण विकसित होता है।
- **यह अध्ययन चार देशों:** भारत, मैक्सिको, नाइजीरिया और घाना के 13 अस्पतालों में पेट की सर्जरी कराने वाले मरीजों पर केंद्रित था।
- सर्जरी को साफ-दूषित या दूषित-गंदा के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो संक्रमण जोखिम की सीमा को दर्शाता है।

समाचारों में स्थान

गाज़ा पट्टी

स्थान: गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है।

राजनीतिक सीमाएँ: गाजा पट्टी की सीमा उत्तर और पूर्व में इज़राइल और दक्षिण में मिस्र से लगती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 1948 में इज़राइल द्वारा अपना राज्य घोषित किए जाने के बाद, गाजा पट्टी पर लगभग दो दशकों तक मिस्र का नियंत्रण रहा।
- 1967 में, छह दिवसीय युद्ध के दौरान इज़राइल ने गाजा पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया।
- 2005 में, इज़राइल ने गाजा पट्टी से लगभग 9,000 इज़राइली निवासियों और सैन्य बलों को वापस बुला लिया, जिससे इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया गया।

वर्तमान शासन: गाजा पट्टी वर्तमान में हमास द्वारा शासित है, जो एक फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन है जिसने 2007 में चुनाव जीतने के बाद नियंत्रण कर लिया था।

- हमास इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता नहीं देता है।

नाकाबंदी: इज़राइल ने 2007 से गाजा पर भूमि, वायु और समुद्री नाकाबंदी लगा रखी है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

POINTS TO PONDER

- **किस खगोलीय पिंड पर ,5 मिलीलीटर सामग्री का वजन 5 अरब टन होने की सम्भावना है और माना जाता है कि आकाशगंगा में इसके एक अरब उदाहरण हैं?** - ब्लैक होल
- **भारत के किस राज्य ने हाल ही में मैरियन बायोटेक फैक्ट्री में दो कफ सिरप (एम्ब्रोनोल और डीओके-1 मैक्स) का उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है?** - उत्तर प्रदेश
- **2006 के बाद से फिलिस्तीनी किन दो पार्टियों या समूहों के बीच आंतरिक संघर्ष के कारण टूट गया हैं?** - फतह और हमास
- **"द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विदिन यू" के लेखक कौन हैं जिन्होंने गांधीजी की सत्य और अहिंसा की खोज को प्रेरित किया?** - टॉल्स्टॉय
- **बैगवर्म मोथ की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है?** - यूमेशिया वेनेफिका